



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1525) पटना, बुधवार, 17 सितम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 160, दिनांक 17 सितम्बर 2025--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

| क्र. सं. | अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्ष / टैरिफ मद | वस्तुओं का विवरण |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 0802 80 | सुपारी |
| 2. | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3. | 24 | तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प |

| क्र. सं. | अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्ष / टैरिफ मद | वस्तुओं का विवरण |
|----------|-------------------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 4. | 3301 | आवश्यक तेल |

स्पष्टीकरण.-

- (i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष", और "अध्याय" से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है;
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3800)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 160, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3800)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th September 2025

S.O. 160, Dated 17th September 2025-- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely : –

- (a) Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017;
- (b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

| S. No. | Chapter/ Heading/ Sub-heading/ Tariff item | Description of Goods |
|--------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 0802 80 | Areca nuts |
| 2. | 2106 90 20 | Pan masala |
| 3. | 24 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes |
| 4. | 3301 | Essential oils |

Explanation. –

- (i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading,

and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 3800)]

**By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1525-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>